UTTAR PRADESH — INDIA — दो रुपया — TWO RUPEES — भारत — 2 Rs

:: ओ३म् ::

मै कि श्री ग्याप्रसाद पुत्र श्री हीरालाल वघेले ठाकुर निवासी गांव अलीनगर केनरा परगना व तहसील फीरोजावाद जिला आगरा का हूं ।

जो कि मै मौजा मिल्क खानजहानपुर परगना व तहसील फीरोजावाद जिला आगरा मै अपने खाता नम्बर वासट सन १३८१ फसली की आराजी गाटा संख्या एक सौ आठ रकवा चार वीघा चौदह विस्वा पन्द्रह विस्वासी पुख्ता लगानी चौवीस रुपया दस पैसे सालाना का काश्तकार सीरदार हूं कि जिसका वीसगुना लगान मैंने आज की तारीख मे नियमानुसार स्टैट वैंक फीरोजावाद मे वजरिये चालान संख्या २६ जमा कर दिया है और मै भूमधर हो गया हूं और मेरा लगान भी आधा रह गया है इस तौर मै आराजी गाटा संख्या एक सौ आठ (४-१५) रकवा चार वीघा चौदह विस्वा पन्द्रह विस्वासी पुख्ता का काश्तकार भूमधर व मालिक कामिल व काबिज तनहा हूं जिसमे मेरा कोई भी साझीदार व भागीदार नही है कि जो मेरे किसी तरह के किसी इन्तकाल मे बाधक हो कि जिसकी वावत मुझको जुमला हक मालकाना आदि हरकिस्म हासिल है और चूंकि आराजी मजकूर की काश्त से मुझको कोई खास लाभ नही हो पाता है और मुझे अपनी घरू जरूरियात लाबुदाला के लिए रुपया दरकार है और आराजी मजकूरेवाला की कीमत वहुत ही मुनासिव व माकूल व वाजारी मिलती है कि जिससे मेरा लाभ है अतएव मैंने आराजी गाटा संख्या एक सौ आठ (१०८) (४-१५) रकवा चार वीघा चौदह विस्वा पन्द्रह विस्वासी पुख्ता लगानी वारह रुपया पांच पैसे सालाना वहिसाब भूमधरी वाके मजकूर का सौदा पुख्ता मय समस्त अधिकारो के राजी खुशी के साथ मुवलिग (२००००) वीस हजार रुपया श्रीमती लज्जावती देवी पत्नी

[illegible]

[illegible]

१०-१२-६८

UTTAR PRADESH

25 nP

INDIA

पचीस नये पैसे   पचीस नये पैसे

भारत

TWENTY FIVE NAYE PAISE

।२।

डाक्टर महेशचन्द्र अग्रवाल वैश्य अग्रवाल निवासन मुहल्ला चाउन कस्वा फीरो नावाद जिला आगरा से किया है और मिनजुमला रकम मजकूर के मुवलिग एक हजार पांच सौ रुपया (१५००) व्याने मे नगद रोवरू गवाहान हासिया वसूल पाकर इकरार हस्व जैल करता हूं।

।१। यह कि मै आज से अन्दर छै माह के खेत मजकूर की फसल काटकर और खेत खाली करके खेत का वैनामा तकमील व तहरीर करके हस्व इत्मीनान खरीदारा व हस्व मसौदा खरीदारा रजिस्टरी कर दूंगा और खाली खेत पर कव्जा खरीदारा को कर दूंगा और वक्त रजिस्टरी शेष अठारह हजार पांच सौ रुपया (१८५००) पाऊंगा यदि मै वैनामा करने मे कासिर रहूं तो खरीदारा को हक होगा कि वह जवरिया वैनामा अदालत द्वारा करा लें और जो खर्चा पड़े वसूल कर लें

।२। यह कि खरीदारा अन्दर म्याद मजकूर खेत खाली होने के वावजूद वैनामा नही करावेगी तो वरव्याना सोख्त हो जावेगा।

।३। यह कि खर्चा वैनामा वजिम्मे खरीदारा है।

।४। यह कि खेत हर तौर पर पाक व साफ है जिसका इत्मीनान खरीदारा जिस तौर चाहेगी करा दूंगा।

।५। यह कि आराजी मजकूरेवाला का सौदा मैने आज तक किसी से नही किया है और न करूंगी और शरायत मजकूरेवाला का पावन्द रहूंगा।

अतएव यह इकरारनामा अंकित कर दिया कि सनद हो और समय पर काम आवें

तारीख तहरीर ११-१२-७३ ई० मसविदा कैलाशचन्द्र अग्रवाल फीरोजावाद

द० [illegible]

नक्कल ६० सि. २२४ [illegible]

[illegible]

२०-९-२-८३

प्रतिलिपि खतौनी ग्राम फिरोजाबाद (बाग गढ़ी) तहसील फ० जिला फिरोजाबाद सन् १३८४ फ० से सन् १३८८ फ० तक

खाता का क्रमांक	खातेदार का नाम, पिता का नाम और निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्राप्त होने का वर्ष	खसरा संख्या	क्षेत्रफल बन्दोबस्ती बीघा व एकड़ों में	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं का सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद जो R.K. द्वारा साक्षीकृत हुए						टिप्पणी
						सन फसली	सन फसली	सन फसली	सन फसली	सन फसली	सन फसली	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
३२९	श्रीमती लज्जादेवी पत्नी महेशचन्द्र निःमुहल्ला बाग फिरोजाबाद	सन् १३८२ फ०	२०८	२.०६२	२६.००	आदेश तहसीलदार महोदय मु०नं० [illegible] दि० 22.2.2000 के अनुसार नाम श्रीमती लज्जादेवी पत्नी महेशचन्द [illegible] के स्थान पर श्रीमती [illegible] पत्नी डा० राजीव [illegible] फिरोजाबाद का नाम वारिसान नाम के [illegible] दर्ज हो। [illegible] 7.3.2000						ग० 10/1092 मा० 326.00

पूरी ग्राम फिरोजाबाद [illegible] की